



Neutral Citation No. - 2026:AHC:3708

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 35100 वर्ष 2025**

गुड्डू एवं अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

---

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता

: अशोक कुमार सिंह बैस

विपक्षी (गण की ओर से अधिवक्ता

: भरत सिंह, जी.ए., लाल प्रभाकर सिंह

---

**न्यायालय संख्या - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल**

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आज विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण की ओर से दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकगण की ओर से श्री अशोक कुमार सिंह बैस, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाल प्रभाकर सिंह के होल्डिंग ब्रीफ श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव के साथ ही साथ राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अरुण कुमार मिश्रा को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
3. आवेदकगण, मुकदमा अपराध संख्या 296 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 191(2), 352, 351(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना जुनावई, जिला संभल के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहते हैं।
4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त विनोद और संतोष को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2.12.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 36832 वर्ष 2025 में पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि चूँकि



आवेदकगण का मामला उन सह-अभियुक्तों के समान है, जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वे भी समानता के आधार पर जमानत पाने के अधिकारी हैं। आवेदकगण को आरोपित आपराधिक इतिहास को शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदकगण दिनांक 20.08.2025 से जेल में बंद हैं। यदि आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ता सूचनाकर्ता की ओर से जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उक्त तथ्यात्मक पहलू का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया।
6. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, लंबित विचारण पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 आपराधिक एल.जे. 938** में पारित निर्णय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021** में पारित निर्णय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णय के प्रकाश में, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक इस प्रकरण में जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
8. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदकगण **गुड्डू एवं राजेश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

i) आवेदकगण विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।



ii) आवेदकगण अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेंगे।

iii) आवेदकगण निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

सिद्धांत